



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 58-2

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 21-09-2023

## कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।  
विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0 )	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री केदारी लाल निवासी ग्राम श्यामसर वि0क्षे0 सिद्धपुरा जनपद कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008325369)	9759523556	गंजडुण्डवारा	13	0.440	सिद्धपुरा	20.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

1. आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
2. स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 21-09-2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. प्राक्कलन विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन विर्योन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री केदारी लाल निवासी ग्राम श्यामसर वि0क्षे0 सिद्धपुरा जनपद कासगंज।

By Email

अधिशासी अभियन्ता

\*राष्ट्र हित में विजली बचाये\*

\*SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION\*



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
सोरों रोड़, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 588 /वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 21-09-2023

## कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0 )	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री रामविलास पुत्र श्री किशनपाल निवासी ग्राम अनंगपुर ब्लॉक सिद्धपुरा, जनपद-कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008325793)	9720701820	गंजडुण्डवारा	13	0.440	सिद्धपुरा	21.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

  
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: /वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन विर्योन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्रीमती सुरधा पत्नी श्री रामकृपाल निवासी ग्राम हथौडाखेडा वि0क्षे0 पटियाली जनपद कासगंज।

By Email

  
अधिशासी अभियन्ता



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 587

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 21-07-2023

## कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0 )	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री रामसेवक पुत्र श्री नाथूराम निवासी ग्राम नौगांव ब्लॉक अमापुर, जनपद-कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008325720)	9027917265	गंजडुण्डवारा	13	0.440	अमापुर	21.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)


दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन वियॉन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्रीमती सुरधा पत्नी श्री रामकृपाल निवासी ग्राम हथौडाखेडा वि0क्षे0 पटियाली जनपद कासगंज।

By Email

अधिशासी अभियन्ता



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 581

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 21-09-23

## कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0 )	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री राजकुमार पुत्र श्री रामविलास निवासी ग्राम बहरोजपुर वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008325332)	6396506518	गंजडुण्डवारा	13	0.440	गंजडुण्डवारा	20.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- काई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में उ0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन वियॉन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्री राजकुमार पुत्र श्री रामविलास निवासी ग्राम बहरोजपुर वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

By Email

अधिशासी अभियन्ता

\*सदृ हित में विजली बचाये\*

\*SAVE THE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION\*